fogxkoyksdu

इस प्रतिवेदन में 20 कंडिकायें सहित दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत्त कंडिका है जिनमें राशि ₹ 51.65 करोड़ के कर के कम आरोपण/अनारोपण, शास्ति का अनारोपण, अनियमित/अधिक व्यय आदि सम्मलित है। कुछ प्रमुख प्रेक्षण नीचे वर्णित है:

I. lkekU;

छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2014–15 के लिये कुल प्राप्तियाँ ₹ 37,988.01 करोड़ थी। राज्य शासन द्वारा संग्रहित कर की कुल प्राप्तियाँ ₹ 20,637.17 करोड़ थी जिसमें कर राजस्व ₹ 15,707.26 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व ₹ 4,929.91 करोड़ था। भारत शासन से प्राप्तियाँ ₹ 17,350.84 करोड़ थी (विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 8,363.03 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 8,987.81 करोड़)। इस प्रकार राज्य शासन का अपना योगदान कुल राजस्व का 54 प्रतिशत रहा।

¼dafMdk 1-1½

दिसम्बर 2014 तक जारी 2,811 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 11,073 कंडिकाओं, जिनमें ₹ 7,132.64 करोड़ सन्निहित थें जून 2015 तक निराकृत नहीं हुए थें। वर्ष 2014–15 में जारी कुल 147 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 112 निरीक्षण प्रतिवदेनों पर विभाग से प्रथम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। जिन्हें इनकी प्राप्ति के एक माह के भीतर दिया जाना चाहिए था।

¼dafMdk 1-6-1½

वर्ष 2014–15 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन, भू–राजस्व, खनन प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर, वन एवं वन्य जीवन एवं विद्युत शुल्क के 84 इकाईयों के अभिलेखों के नमूना जाँच में ₹ 549.77 करोड़ अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 27,711 प्रकरणों पाये गये। वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सम्बन्धित विभागों द्वारा 23,602 प्रकरणों में, ₹ 263.73 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

¼dafMdk 1-9½

II. okf.kfT;d dj

eY; lof/kr dj ¼oV½ d vrxr dj fu/kkj.k dh i.kkyh के निष्पादन लेखापरीक्षा पर निम्न कमियाँ पाई गई:

- नये व्यवसायियों को कर के दायरे में लाने हेतु छ.ग.मू.सं.क अधिनियम के धारा 57क के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान अपंजीकृत व्यवसायियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

¼dafMdk 2-2-8½

- अवधि 2011–12 से 2014–15 के दौरान राजस्व की वृद्धि दर पिछले वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक घट गयी जबकि पंजीकृत व्यवसायियों और कर की दर में वृद्धि हुई।

¼dafMdk 2-2-9½

- 2008–09 से 2013–14 के मध्य शासन ने स्व कर निर्धारण की समय सीमा में सात से 48 माहों की वृद्धि की गई। इसी प्रकार, 2008–09 से 2010–11 की अवधि के लिए विभिन्न

धाराओं के अंतर्गत होने वाले कर निर्धारण में 21 से 31 माहों की समय सीमा में वृद्धि की गई। इस प्रकार निर्धारण की अवधि अत्याधिक बढ़ाने से कर निर्धारण प्रकरणों का अधिक जमाव हो जायेगा।

¼dfMdk 2-2-14½

• आयुक्त द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के धारा 21(3) के अंतर्गत कर निर्धारण हेतु कोई प्रकरण का चयन नहीं किया गया। आगे वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः 11.59, 3.94 एवं 0.6 प्रतिशत ही स्व कर निर्धारणों का जाँच हेतु चयन किया गया।

¼dfMdk 2-2-15½

• विभाग द्वारा ऐसे व्यवसायियों के अंतिम स्कंध के संबंध में जिनका पंजीयन निरस्त किया गया और आगत कर के वापसी यदि कोई हो, की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य यह इंगित करते है कि निरस्त पंजीयन के संबंध में अंतिम स्कंध के ऊपर आगत कर की वापसी का कोई निगरानी प्रणाली मौजूद नहीं था।

¼dfMdk 2-2-17½

• तीन कार्यालयों में चार व्यवसायी के प्रकरणों में कर के प्रशमन के लिए संविदा का गलत वर्गीकरण किए जाने के कारण कर का कम आरोपण ₹ 21.82 लाख हुआ।

¼dfMdk 2-2-18½

• 11 कार्यालयों के 5951 व्यवसायियों में से 1430 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान 26 प्रकरणों में माल के गलत वर्गीकरण तथा कर की न्यून दर के प्रयोग करने के कारण कर का कम आरोपण ₹ 9.16 करोड़ हुआ।

¼dfMdk 2-2-19½

• छः कार्यालयों के 2766 व्यवसायियों में से 874 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान छः प्रकरणों में आगत कर की अनियमितताए जैसे अनियमित/अपात्र आगत कर, अधिक आगत कर ₹ 44.89 लाख पाई गई।

¼dfMdk 2-2-20½

• भाड़ा, लाभ इत्यादि को शामिल करने के पश्चात संकर्म संविदा में प्रयोग होने वाले सामग्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य आवर्त्त ₹ 33.63 करोड़ निर्धारित किया गया जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालयीन निर्णय एवं शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कर योग्य आवर्त्त का निर्धारण कुल प्राप्तियों में से मजदूरी से संवंधित व्यय का घटाने के पश्चात् किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप मूल्य संवर्धित कर का कम आरोपण ₹ 46.55 लाख हुआ।

¼dfMdk 2-2-24½

• 12 कार्यालयों के 2147 व्यवसायियों में से 1282 प्रकरणों के नमूना जांच के दौरान 20 व्यवसायियों के प्रकरण में अन्तराज्यीय विक्रय में गलत छूट माल अंतरण, पश्चावर्त्ती बिक्री तथा गलत फार्मो पर प्रदाय किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर का अनारोपण/कम आरोपण ₹ 1.68 करोड़ हुआ।

¼dfMdk 2-2-25½

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा गलत दर का प्रयोग किये जाने से मूल्य संवर्धित कर (वैट) की राशि ₹ 39.47 लाख का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

¼dafMdk 2-3-1½

कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारिती द्वारा क्रीत कोयला के कुल मात्रा पर प्रांत के अंदर विक्रीत कर मुक्त विद्युत के निर्माण के लिए उपयोगित भाग की कमी किये बिना आगत कर प्रदाय किया। परिणामस्वरूप ₹ 13.34 लाख का आगत कर का अधिक प्रदाय हुआ।

¼dafMdk 2-4½

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बगैर घोषणा पत्र समर्थित अंतर्राज्यीय विक्रय को मान्य किये जाने से ₹ 45.45 लाख का केंद्रीय विक्रय कर का कम आरोपण हुआ।

¼dafMdk 2-5½

अनुसूची एवं अधिसूचना में वर्णित दर के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण न किये जाने से राशि ₹ 10.45 लाख का प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

¼dafMdk 2-6½

III. iath;u ,oa eqnzkad 'kqYd

उपपंजीयक द्वारा विलेखों के गलत वर्गीकरण किये जाने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मु.शु. एवं पं.फी.) की राशि ₹ 41.29 लाख का कम आरोपण हुआ।

¼dafMdk 3-3½

एक ही दस्तावेज में एक से अधिक विक्रेताओं के सम्पत्तियों को जोड़कर गणना किये जाने के कारण सम्पत्ति का अवमूल्यन होने के फलस्वरूप मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 27.35 लाख की कम प्राप्ति।

¼dafMdk 3-4½

मुख्य मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों को मुख्य मार्ग से दूर मानकर मूल्यांकन करने पर मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 24.96 लाख की कम प्राप्ति।

¼dafMdk 3-5½

नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमियों के मूल्यांकन, मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार न किये जाने से मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 17.42 लाख की कम प्राप्ति।

¼dafMdk 3-6½

उ.पं द्वारा विलेखों में उल्लेखित तथ्यों को नजर अंदाज कर के गलत दर लगाने से एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन न किये जाने के कारण मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 16.91 लाख की कम प्राप्ति।

¼dafMdk 3-7-1 ,oa 3-7-2½

IV. Hkw&jktLo

ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि भूमियों के व्यपवर्तन पर आरोपित प्रब्याजी एवं भू–भाटक पर पंचायत उपकर का आरोपण न किये जाने से ₹ 22.34 लाख की राजस्व की अप्राप्ति।

¼dafMdk 4-3½

औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि का क्रय एवं नामांतरित को औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु व्यपवर्तित न किये जाने से भू–राजस्व राशि ₹ 26.00 लाख की अप्राप्ति।

¼dafMdk 4-4½

V. okguk ij dj

;k=h ,o eky ;kuk d okguLokfe;k l djk dk de olyh@volyhपर वृहत कंडिका के अंतर्गत निम्न कमियाँ पाई गईः

क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा करों के मांग एवं वसूली पंजी एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की पंजी का संधारण/अद्यतन नहीं किया गया।

¼dfMdk 5-2-9½

जुलाई 2011 से मार्च 2015 के मध्य कुल 2,583 पंजीकृत यात्री यानों में से 133 यात्री यानों के स्वामियों से व्हीलबेस अनुसार बैठक क्षमता का निर्धारण न करने से, प्रत्येक स्लीपर को दो सीट न मानने से, शैक्षणिक संस्थाओं से अन्यत्र उपयोग करने पर रियायती दर से कर आरोपण करने आदि के कारण यानकर की राशि ₹ 2.25 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

¼dfMdk 5-2-10½

चयनित परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2010 से फरवरी 2015 तक के कुल 1,61,380 पंजीकृत वाहनों में से 5,677 वाहन स्वामियों द्वारा ना तो यान कर एवं शास्ति की राशि ₹ 19.05 करोड़ का भुगतान किया गया ना ही विभाग द्वारा कोई मांग जारी की गई।

¼dfMdk 5-2-11½

VI. vU; fHkUu dj ikflr;k

विभागीयों निर्देशानुसार विक्रय हेतु काष्ठ के शुद्ध प्रचयों के निर्माण के निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण काष्ठों के विक्रय विलंब से होना, जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 11.57 लाख की राजस्व की हानि।

¼dfMdk 6-3-1½

नीलामी के दौरान काष्ठ प्रचयों का गैर–वाणिज्यिक मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय किये जाने के कारण राजस्व राशि ₹ 5.03 लाख की हानि।

¼dfMdk 6-3-2½

खनिपट्टा के पंजीकरण हेतु औसत वार्षिक राज्यांश का गलत गणना किया गया। जिसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मु.शु. एवं पं.फी.) की राशि ₹ 6.92 करोड़ की कम प्राप्ति।

¼dfMdk 6-7½

गौण खनिज के उत्खनित मात्रा में परिवर्तन उपरांत मु.शु. एवं पं.फी. के अंतर के भुगतानों के प्रावधानों के न होने से मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 14.29 लाख की अप्राप्ति।

¼dfMdk 6-8½

VII. okfudh ,o ou thou ¼0;;½

वन विभाग द्वारा पूर्व से ही वनाच्छादित क्षेत्र में काष्ठ वृक्षारोपण की परियोजना तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य किये जाने से राशि ₹ 1.11 करोड़ का अनियमित व्यय।

¼dfMdk 7-3½

मनरेगा के अंतर्गत पौधा तैयारी कार्य हेतु वन विभाग द्वारा विभागीय मानकों का अनुपालन न कर उच्च दर पर परियोजना तैयार कर पौधा तैयार किये जाने से राशि ₹ 57.14 लाख का अधिक व्यय।

¼dfMdk 7-4½

वृक्षारोपण हेतु विभागीय मानकों का पालन न कर वृक्षारोपण का परियोजना तैयार कर वृक्षारोपण किये जाने से राशि ₹ 51.15 लाख का अधिक व्यय साथ ही कम पौधों का रोपण होना।

¼dfMdk 7-5½

VIII. lpuk iz|kfxdh y[kkijh{kk

'ई–चालान' साफ्टवेयर एक इन्टरनेट ऑनलाईन बैंक सेवा के माध्यम से कर दाताओं को आनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। इस साफ्ट्वेयर को कोष संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, रायपुर के माध्यम से विकसित किया गया। कोषालय संहिता के नियमों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 64क एवं 64ख को संशोधित करते हुये उसकी मंजुरी प्रदान की गयी, जिसमें कस्टमाईज चालान फार्म बैंक के माध्यम से इन्टरनेट के द्वारा कोषालय एवं विभागों को प्रेषित किया जायेगा।

b&pkyku d fØ;kUo;u पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न कमियाँ पाई गईः

- ई–चालान परियोजना के क्रियान्वयन के प्रबंधन के लिए निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया। प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु सॉफ्टवेयर की समांतर जाँच का आयोजन नहीं किया गया।

¼dfMdk 8-8½

- यद्यपि विभाग द्वारा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशीफिकेशन (एस.आर.एस.) और यूजर रिक्वायरमेंट स्पेशीफिकेशन (यू.आर.एस.) तैयार किया गया था परंतु इसके क्रियाकलाप के नियम, कार्य की दिशा एवं तकनीकी विशेषताएं जो नये कम्युटरीकृत प्रणाली के लिए आवश्यक है मौजूद नहीं होने से अपूर्ण था। पुनः विभाग द्वारा सिस्टम डिजाइन डाक्यूमेंट (एस.डी.डी.) तैयार नहीं किया था।

¼dfMdk 8-9½

- इनपुट कंट्रोल एवं वंलिडेशन चेक्स ई–चालान सोफ्टवेयर में समुचित रूप से समाहित नहीं थे।

¼dfMdk 8-10½

- कोषालय द्वारा बैंक में ई–चालान के माध्यम से प्राप्त राशि का लेखांकन में राशि प्राप्त होने की तिथी से 10 दिवस से पांच माह के विलम्ब से किया गया। कोषालय स्तर पर निगरानी प्रणाली के अभाव के कारण लेखांकन में विलंब दृष्टिगत नहीं हुआ।

¼dfMdk 8-12½

- विभागीय क्रियाकलापों के पालन में असफलता से फैंसी नम्बर के आबंटन के लिए फीस की बढ़ी हुई दर को विभाग द्वारा डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन (DPR) सॉफ्टवेयर में अद्यतन नहीं किया फलस्वरूप राशि ₹ 3.56 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

¼dfMdk 8-17½

- वाहन के डीलरों एवं परिवहन विभाग के बीच हुए अनुबंध के अनुसार ये आवश्यक है की डिलर कर एवं शुल्क के रूप में प्राप्त किये गये शासकीय राजस्व को उसी दिन संबंधित मुख्य शीर्ष में आनलाईन जमा करेगा। किंतु डीलरों ने शासकीय राजस्व को दो से 1488 दिनों के विलम्ब से जमा किया। यद्यपि यह डीलर मात्र नये वाहनों के ही पंजीयन करने हेतु अधिकृत थे किंतु इनके द्वारा डीलर पाइंट रजिस्ट्रशन से पुराने वाहनों का भी पंजीयन किया।

¼dafMdk 8-18 ,oa 8-21½

- संचालनालय कोष ई–चालान डाटा को उपयोग करने वाले समस्त विभागों के माड्यूल से एकीकृत करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप कई स्तर पर मानवीय हस्ताक्षेप हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में उपयोग किये जा रहे सॉफ्टवेयरों को एकीकृत नहीं होने से गलत भुगतान प्रदर्शित हुआ, चालानों में हेरफेर इत्यादि हुए।

¼dafMdk 8-16 ,oa 8-22½

- मास्टर डाटा की विश्वसनियता कायम नहीं रही क्योंकि एक ही चालान के एक से अधिक अभिलेख मौजूद थे।

¼dafMdk 8-23½

- ई–चालान के क्रियान्वयन में सही प्रचलित रीतियों का अनुसरण करने में वाणिज्यिक कर विभाग असफल रहा जिसके फलस्वरूप डीलरों द्वारा जमा किये गये ई–चालान के विवरणों की सम्पूर्णता, परिशुद्धता एवं वैधता को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

¼dafMdk 8-24½

- विभिन्न करों के भुगतान में समान चालानों की प्रविष्टि रोकने के लिए COMTAX सॉफ्टवेयर में इनपुट एवं वेलिडेशन जाँच लगाने में वाणिज्यिक कर विभाग असफल रहा। इसके फलस्वरूप समान चालानों को वैट एवं प्रवेश कर के भुगतान में प्रयोग किया गया ।

¼dafMdk 8-27½